बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0
खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर, ब्लॉक रोड नं0-2 पटना 800001

पत्रांकः- 5379 पटना/दिनांकः- 29/5/18.

प्रेषक,

पंकज कुमार भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक,
निगम मुख्यालय पटना,

सेवा में

सभी जिला प्रबंधक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
बिहार।

विषयः- **डोर स्टेप डिलेवरी 2016 के प्रावधानों को लागू करने, पारदर्शिता लाने एवं खाद्यान्नों के परिवहन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः- निगम का पत्रांक-447 दिनांक-12.01.2014, 3573 दिनांक-16.05.2014 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का ज्ञापांक-2151 दिनांक 31.03.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का ज्ञापांक-2151 दिनांक-31.03.2016 का संदर्भ लिया जाय। पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मध्याह्न भोजन योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजना हेतु खाद्यान्न के निर्गमन एवं डोर स्टेप डिलेवरी योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विशेष निदेश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि डोर स्टेप डिलेवरी योजना अन्तर्गत खाद्यान्न जी0पी0एस0/लोड सेल युक्त वाहन से ही कराना है, वाहनों पर डी0एस0डी0 प्रावधान का पुरा ब्यौरा स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए। कई जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कई मामलों में आपात स्थिति एवं रेल रैक लोडिंग में निर्धारित समय का उल्लेख कर बाहरी वाहन (बिना जी0पी0एस0/लोड सेल युक्त) से खाद्यान्न का परिवहन सी0एम0आर0 केन्द्र से रैक प्वाईन्ट तथा रैक प्वाईन्ट से टी0पी0डी0एस0 गोदाम तक कराया जा रहा है, जो प्रशासी विभाग एवं निगम के निदेश के विपरीत है। जी0पी0एस0/लोड सेल युक्त वाहनों से खाद्यान्न का परिवहन कराने का मुख्य उद्देश्य एवं लाभ निम्नवत् है।

(a) Realtime Vehicle live location & tracking
(b) Uncheduled Stoppage alarm.
(c) Over speed alarm
(d) Device main power cut alarm (Battery Backup)
(e) GPS Anntenna temper alarm
(f) Ignition on/off alarm
(g) Weight reduction alarm

किसी भी परिस्थिति में बिना लोड सेल युक्त एवं जी0पी0एस0 युक्त वाहन से परिवहन नहीं कराया जाय। शत् प्रतिशत् जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त वाहन से रैक प्वाईन्ट पर लोडिंग एवं अनलोडिंग में खाद्यान्न का परिवहन हरहाल में इसका अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित हो। इसका उल्लंघन करनेवाले परिवहन अभिकर्त्ता पर ठोस कानूनी कार्रवाई तथा एकरारनामा के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न का परिवहन पूर्णतः लोड सेल एवं जी0पी0एस0 युक्त तथा चिन्हित वाहन होते है एवं उस वाहन के विरुद्ध जिला प्रबंधक द्वारा एकरारनामा किया जाता है। अतः खाद्यान्न के परिवहन में उपयोग किये जानेवाले सभी वाहनों पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अधीन डोर स्टेप डिलेवरी योजना, परिवहन अभिकर्त्ता का नाम अंकित एवं बैनर निश्चित रूप से लगा होना चाहिए।

कई मामलों में भी यह बात प्रकाश में आयी है कि सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के सेवा प्रदत्त एजेन्सी 4G IT Solutions के IT Manager, डाटा इण्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक प्रबंधक के शिथिलता के कारण गाड़ी के निर्गमन के साथ उसकी प्रविष्टि तत्काल गोदाम पर नहीं कर अन्य स्थान से या विलम्ब से की जाती है जो कि सर्वथा अनुचित है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि हर परिस्थिति में

बिना प्रविष्टि किये गाड़ी को गोदाम परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही ऑनलाईन इण्ट्री गोदाम परिसर में ही हो।

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र को पुनः संलग्न करते हुए निदेश है कि इसका शत् प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नकः– यथावर्णित।

विश्वासभाजन

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक पटना/दिनांक

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक पटना/दिनांक

प्रतिलिपिः– सेवा प्रदत्त एजेन्सी 4G Identity Solution Pvt. Ltd को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

mdsir

458

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

सोन भवन,5वी मंजिल वीर चन्द पटेल पथ, पटना 800001

पटना / दिनांक

प्रत्रांक

प्रेषक

डा0 दीपक प्रसाद,(भा0प्र0से0,)

प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंन्धक,

राज्य खाद्य निगम।

विषयः— **राज्य में लक्षित जनवितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्नों को पहुँचाने हेतु डोर स्टेप डिलेवरी कार्यक्रम हेतु कार्य योजना एवं मार्गनिर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना हैं कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 8226 दिनांक 31.12.13 के आलोक में 1 फरवरी 2014 से लक्षित जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों को पहुँचाने हेतु एक नई व्यवस्था डोर स्टेप डिलेवरी कार्यकम लागू करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राज्य खाद्य निगम के भंडार गोदाम तक खाद्यान्न का उठाव कर निगम द्वारा लाया जाता था जहाँ से जनवितरण प्रणाली विक्रेता अपने वाहनों से खाद्यान्न का उठाव कर संबंधित दूकानों तक ले जाते थे एवं लाभान्वितों को वितरण करते थे। डोर स्टेप डिलेवरी कार्यकम के अंतर्गत राज्य खाद्य निगम के भंडार से जनवितरण प्रणाली के विकताओं तक भी खाद्यान्नों को पहुँचाने की जिम्मेदारी राज्य खाद्य निगम की होगी।

2. **डोर स्टेप डिलेवरी कार्यकम की प्रमुख विशेषताएँः—**

- याचिका सं0 196/2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत जनवितरण प्रणाली ढंग से लागू करने के उद्देश्य से यह कार्यकम लागू किया गया है।
- इस कार्यकम से खाद्यान्न का ससमय वितरण सुनिश्चित किया जाएगा तथा सही मात्रा का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
- खाद्यान्न उठाव एवं वितरण प्रणाली में पारदर्शिता रहेगी तथा जन शिकायत निवारण प्रणाली की उचित व्यवस्था रहेगी।

एस0आई0ओ0 तैयार करना एवं वितरणः—

- सर्वप्रथम सभी जनवितरण प्रणाली विकेताओं द्वारा चयनित राष्ट्रीयकृत बैंकों में आवंटन के अनुरूप राशि जमा की जाएगी। बैंक के नोडल पदाधिकारी द्वारा Digital Signature के माध्यम से सभी जमा की गई राशि की विवरणी अगले कार्य दिवस को जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह एक Secured transaction होगा क्योंकि बैंक द्वारा CSV File generate कर जिला प्रबंधकों को ई0मेल से भेजा जाएगा जो non – editable रहेगा तथा बैंक इसे अपने Log in password से भेजेंगे।
- किसी भी कार्य दिवस का report view एवं print की सुविधा रहेगी। इसका Data Base सुरक्षित रहेगा एवं पारदर्शिता रहेगी।

- बैंक से जमा राशि की विवरणी प्राप्त कर जिला प्रबंधक कंप्यूटराईज्ड एस0आई0ओ0 निर्गत करेंगें तथा इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों एवं ज0वि0प्र0 विक्रेताओं को sms के माध्यम से दी जाएगी।
- एस0आई0ओ0 का वितरण प्रत्येक माह की 15वीं एवं 16वीं तारीख तथा 20वीं एवं 21वीं तारीख को संबंधित गोदामों पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष की जाएगी।
- सभी जिला प्रबन्धक भेंडर एवं बैंक से समन्वय बनाये रखेंगे ताकि कंप्यूटरीकृत एस0आई0ओ0 ससमय निर्गत हो सके।

आर0ओ0 क्रय की व्यवस्था:– आर0ओ0 का क्रय नियमानुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राशि जमा कर किया जाएगा तथा भारतीय खाद्य निगम से उठाव की व्यवस्था की जाएगी।

- **इसके अतिरिक्त विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति में प्राप्त चावल को भी लक्षित जनवितरण प्रणाली में उपयोग किया जाना हैं अतएवं उक्त चावल का आर0ओ0 जिला प्रबन्धक अपने स्तर से निंगत करेंगे।**
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति में प्राप्त किये गये चावल का टी0पी0डी0एस0 में उपयोग करने हेतु सभी बांछित कागजातों को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि टी0पी0डी0एस0 में उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र देकर संबंधित खाद्यान्न की राशि भारत सरकार से प्राप्त किया जा सकें।

खाद्यान्न हेतु उठाव की व्यवस्था:–

- सभी जिला यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त आवंटन का उठाव ससमय भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम से कर लिया जाय।
- जिलों के सभी पंचायतों का **एक डिलेवरी सिड्यूल इस तरह से तैयार किया जाय कि अधिकतम 25 दिनों में प्रत्येक पंचायत में जनवितरण प्रणाली के दूकानदारों तक खाद्यान्न पहुँचाया जा सकें। डिलेवरी सिड्यूल का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि लाभान्वितों को भी खाद्यान्न पहुँचने को दिवस एवं तिथी की जानकारी हो।**
- अपने–अपने जिला के परिवहन अभिकर्त्ता से भी बैठक कर इसकी जानकारी दी जाय।
- **निर्धारित तिथि को अगर जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपने दूकान पर अनुपस्थित रहते है अथवा खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं करते हैं तो परिवहन खर्च की वसूली की कार्रवाई संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता से की जाय तथा अनुज्ञप्ति रद्द करने की भी कार्रवाई की जाय।**
- सभी जिला प्रबंधक अपने–अपने जिला से भा0खा0नि0 के क्षेत्रीय प्रबंधकों से समन्वय बनाये रखेगें ताकि आवंटित खाद्यान्नों की ससमय उठाव एवं वितरण हो। **खाद्यान्न की कमी की सूचना 15 दिन पूर्व में क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ निगम मुख्यालय को भी दी जाय ताकि खाद्यान्न व्ययगत नहीं हों।**

भंडारण की व्यवस्था:–

- सभी जिला द्वारा लक्षित जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत् उपयोग में लाये जाने वाले गोदामों को चिह्नित कर लिया गया है। जिन प्रखंडों में गोदाम की व्यवस्था नहीं हैं वहाँ पर किसी बगल के प्रखंड से आपके द्वारा संबद्ध किया गया है।
- डिलेवरी सिड्यूल के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जाय कि गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दो दिन पूर्व से ही उपलब्ध रहे।

गोदाम प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर का मिलान खाद्यान्न प्राप्ति के पश्चात् निर्गमादेश की सेवित प्रति से करायेगे। प्रत्येक गोदाम में जिला आपूर्ति पदा0 / प्रखंड आा0पदा0 द्वारा दूकानदार का हस्ताक्षर निशान का अभिप्रमाणित नमूना उपलब्ध रहेगा।

खाद्यान्न की माप एवं परिवहन की व्यवस्थाः—

- प्रत्येक प्रखंड गोदाम पर खाद्यान्न की माप floor scale द्वारा की जाएगी एवं भेंडर द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से इसका अनुश्रवण कर प्रतिवेदन तैयार कर ज़िला मुख्यालय भेजा जाएगा।
- प्रत्येक जिले में परिवहन सह हथालन सह डिलेवरी अभिकर्त्ता की नियुक्ति निविदा के माध्यम से की गई है।
- **वाहन अभिकर्त्ता द्वारा वाहनों का रंग एक रखा जाएगा तथा इसपर डोर स्टेप डिलेवरी एवं संबंधित जिला का नाम पेंट रखना अनिवार्य होगा।**
- **सभी ज0वि0प्र0 विक्रेताओं के दूकान तक का रूट चार्ट उस जिला के चयनित अभिकर्त्ता को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।**
- सभी परिवहन अभिकर्त्ता को एकरारनामा के पूर्व अपने **प्रयुक्त होने वाले वाहनों में जी0पी0एस0 लगाना अनिवार्य होगा।** उक्त **जी0पी0एस0 की Traking निगम द्वारा चयनित भेंडर द्वारा जिला में एवं निगम मुख्यालय में प्रतिदिन की जाएगी।** आवश्यकतानुसार परिवहन अभिकर्त्ता भी अपने वाहनों की Traking कर सकते है जिसके लिए उन्हें UserID एवं Password उपलब्ध कराया जाएगा।
- परिवहन अभिकर्त्ता डिलेवरी सिड्यूल के अनुसार एस0आई0ओ0 के अनुरूप आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का उठाव कर संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उसी दिन निर्धारित मार्ग के अनुरूप वाहनों से खाद्यान्न उपलब्ध करायेगें एवं सही मात्रा का प्रमाण पत्र जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से प्राप्त करेंगें।
- परिवहन अभिकर्त्ता अपने साथ वाहनों में एक एम0टी0 क्षमता का Floor sale भी साथ लेते जाऐंगें ताकि खाद्यान्न का वजन दूकानदारों के समक्ष भी किया जा सके।
- परिवहन अभिकर्त्ता सहायक गोदाम प्रभारी की देख – रेख में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दूकान या चिहि्नत स्थान तक खाद्यान्न निर्धारित सिड्यूल के दिन पहुँचायेगें एवं निर्गमादेश के अनुरूप दूकानदारों को खाद्यान्न की आपूर्ति करेंगे तथा **निर्गमादेश की सेवित प्रति अपने संबंधित गोदाम प्रबंधक को उसी दिन उपलब्ध करायेगें।**
- **वितरण एवं अनुश्रवण व्यवस्थाः—**
- **डिलेवरी सिड्यूल का निर्धारण जिला द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि जिला के सभी पंचायतों / नगर क्षेत्र में 25 कार्य दिवसों में वितरण की सारी प्रकिया पूरी की जा सके।**
- डिलेवरी सिड्यूल को **प्रचार–प्रसार के माध्यम से सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।**
- पंचायतों में डिलेवरी सिड्यूल का संख्ती से अनुपालन किया जाय।
- पंचायतों में खाद्यान्न **प्राप्ति की सूचना एस0एम0एस0 से जन प्रतिनिधियों / निगरानी समिति को दी जाएगी।**
- खाद्यान्न प्राप्ति का सत्यापन प्रखंड आपूर्ति द्वारा की जाएगी।

- राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के दूकान/चिह्नित स्थल तक खाद्यान्न पहुँचाने की जिम्मेदारी सहायक गोदाम प्रबंधक एवं परिवहन सह हथालन सह डिलेवरी अभिकर्त्ता होगी।

जिला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई:–

- जिले के प्रत्येक नगर क्षेत्र एवं पंचायत का डिलेवरी सिड्यूल जिला आपूर्ति पदा एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के सहयोग से इस प्रकार तैयार किया जाय कि अधिकतम 25 कार्य दिवसों में उक्त माह का खाद्यान्न का वितरण पूर्ण हो जाय।
- **कंप्यूटरीकरण हेतु प्रत्येक जिला कार्यालय में भेंडर के लिए एक 12X12 वर्गफीट का एक कमरा कर्णांकित कर दिया जाय तथा इसमें आवश्यक उपकरण यथा Broad band Landline एवं चार कुर्सी टेबल इत्यादि की व्यवस्था कर ली जाय। पावर बैंक अप हेतु Inverter की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाय।**
- परिवहन सह हथालन सह डिलेवरी अभिकर्त्ता से एकरारनामें के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय **कि उनके वाहनों में जी0पी0एस0 लग गया हैं एवं उनका Mobile sim activate हो चुका है। उनके वाहनों को भी एक रंग से पेंट होना सुनिश्चित किया जाय।**
- आवश्यकतानुसार सभी प्रयुक्त होने वाले प्रपत्रों एवं पंजियों को निगम मुख्यालय से प्राप्त कर लिया जाय।
- भेंडरों द्वारा एम0आई0एस0 पर होने वाले सभी प्रकार के Data का विश्लेषण अपने स्तर से करते हुए उसका अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सभी कार्य योजना एवं दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक पटना/ दिनांक
प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिला प्रबंन्धक से समन्वय कर इसे लागु करना सुनिश्चित करेगे।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक,

ज्ञापांक पटना/ दिनांक
प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक पटना/ दिनांक
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, को सूचनार्थ। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी जिला पदाधिकारी को जिला प्रबंन्धक से सम्नव्य कर सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित करना चाहेगे।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक 409 पटना/ दिनांक 11.1.14
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार कि सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक
11.1.14

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

सेान भवन, 5वी मंजिल, वीर चन्द पटेल पथ, पटना–1

प्रत्रांक 447 पटना/ दिनांक 13.1.14

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
राज्य खाद्य निगम।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम।

विषयः– **दिनांक 1.2.2014 से डोर स्टेप डिलेवरी लागू होने से संबंधित कम्प्युटराईजेशन के पूर्व की जाने वाली आवश्यक तैयारी के संबंध में।**

प्रसंगः– निगम मुख्यालय का पत्रांक 400 दिनांक 11.1.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना हैं कि माह फरवरी 2014 से लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उनके दूकान/निर्धारित स्थल पर खाद्यान्न की आपूर्ति किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया हैं। उक्त के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत् कार्रवाई की जानी हैं:–

1. **एस0आई0ओ0 तैयार करना**

क) **जिला आपूर्ति कार्यालयः–** जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार खाद्यान्नों का आवंटन मदवार Food calendar के अनुसार कंप्यूटर के माध्यम से अथवा हाथ से तैयार कर जिला प्रबन्धक के कार्यालय को एवं उसकी प्रति जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भी दी जाती है। जिला प्रबंधक समन्वय बनाकर आवंटन ससमय प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी हर महीने कि 5वीं तारिख तक जिला प्रबंधक/सहायक गोदाम प्रबंधक को आवंटन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

ख) **जन वितरण प्रणाली विक्रेताः–** संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता जिला प्रबंधक का खाता जिस बैंक में है वहॉ पर विहित चालान को भरकर NEFT से या RTGS से पैसा जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज0वि0प्र0 विक्रेता प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में प्रतिनियुक्ति कार्यपालक सहायक/वसुधा केन्द्र या स्वयं कंप्यूटर की जानकारी रखते हों तो SFC द्वारा उस जिला हेतु निर्धारित बैंक का Portal खोलकर ई–चालान के माध्यम से अपने आवंटन एवं मात्रा तथा अन्य आवश्यक विवरणी भरकर RTGS या NEFT के माध्यम से अपनी राशि जमा कर सकते है।

ग) **बैंको की भूमिकाः–** सभी बैंक अपना एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे जिनमे Digital signature से प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाली राशि को अगले दिन प्रातः 10 बजे तक बैंक पदाधिकारी अपने user ID & password से डीलरवार राशि की विवरणी csv format मे जिला प्रबंधक के कार्यालय को भेजेंगे। सभी बैंक पर्याप्त मात्रा में चालान की पर्चि भी छपवा कर अपने कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ताकि किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को कठिनाई नहीं हो।

ध) **<u>जिला प्रबंधक कार्यालय की भूमिका</u>:–**बैकों से राशि की विवरणी प्राप्त होते ही जिला आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त आवंटन की मात्रा का मिलान कर लिया जाएगा तथा आई0टी0 मैनेजर जो भेंडर द्वारा प्रतिनियुक्त हैं उन्हें इसकी विवरणी की प्रविष्टी की अनुमति दी जाएगी। सभी ऑकड़े प्रविष्ट होने के पश्चात् पुनः इसका सत्यापन जिला प्रबंधक करेगे। सभी जन वितरण विक्रेताओं के खाता संबंधी विवरणी दिनांक 15.1.2014 तक निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

ङ) **<u>आई0टी0 मैनेजर की भूमिका</u>:–** सभी प्रविष्टी करने के पश्चात् System Integrator आई0टी0 मैनेजर एस0आई0ओ0 की चार प्रति तैयार कर जिला प्रबंधक को प्रस्तुत करेंगे जिसे जिला प्रबंधक का हस्ताक्षर के पश्चात् निर्गत किया जाएगा। आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के प्रतिवेदन आई0टी0 मैनेजर द्वारा तैयार किया जाएगा।

च) **<u>निगम मुख्यालय की भूमिका</u>:–** सामान्य शाखा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जिलों मे पर्याप्त मात्र में Pre Printed SIO from उपलब्ध रहे। साथ ही जिला प्रबंधक अपने–अपने Computer एवं अन्य उपस्कर की मरम्मति एवं उसमे Cartridge/ribbon की उपलबधता सुनिश्चित करेगे।

2. **<u>प्रखंड गोदाम पर भंडारण एवं तौलने की व्यवस्था</u>**

क) **जिला प्रबन्धक की भूमिका:–** यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित सिड्यूल के अनुसार खाद्यान्न का वितरण हो। सहायक गोदाम प्रबंधक उक्त दिवस को गोदाम पर अपनी उपस्थिति में खाद्यान्न की लोडिंग ज0वि0प्र0 विक्रेताओं को SIO के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे। खाद्यान्न से तौलने हेतु प्रखंड गोदाम पर भेंडर द्वारा 3 mt क्षमता का फ्लोर स्केल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जिला को आवश्यकतानुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा 1mt क्षमता का फ्लोर स्केल उपलब्ध कराया जाएगा जिसे वे अपने परिवहन अभिकर्त्ता को उपलब्ध करायेगे। परिवहन अभिकर्त्ता इस फ्लोर स्केल (1mt क्षमता) को अपने वाहन पर रखकर ज0वि0प्र0 विक्रेता के दूकान तक वाहनों में ले जाऐंगे एवं खाद्यान्न को ज0वि0प्र0 विक्रेताओं के समक्ष भी खाद्यान्न का वजन कर उन्हें उपलब्ध करायेगे। फ्लोर स्केल को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी सहायक गोदाम प्रबंधक की होगी। खाद्यान्न की कमी की सूचना 15 दिनों पूर्व में मुख्यालय को भेजी जाएगी।

ख) **<u>System Integrator की भूमिका</u>:–** इनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके कर्मी प्रत्येक कार्य दिवस को चिहित गोदामों मे लैपटॉप के साथ उपलब्ध रहें तथा गोदाम में प्राप्त खाद्यान्न एवं वितरण किये गये खाद्यान्न की जानकारी तत्क्षण कंप्यूटर के माध्यम से इंट्री करें ताकि गोदामों में भंडारण की अद्यतन जानकारी प्रत्येक क्षण प्राप्त हो। भेंडर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा आपूरित 3 mt क्षमता का फ्लोर स्केल सही ढंग से कार्य कर रहा है। प्रत्येक गोदाम में खाद्यान्न के प्राप्ति एवं निर्गत किये जाने वाले मात्रा से संबंधित कम्प्युटराईज्ड विवरणी तैयार किया जायेगा तथा इसका सत्यापन गोदाम स्तर पर सहायक गोदाम प्रबंधक एवं जिला स्तर पर जिला प्रबंधक द्वारा किये जाने के पश्चात इसे मुख्यालय भेजा जायेगा।

ग) **जिला आपूर्ति कार्यालय की भूमिका:–** यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिलेवरी सिड्यूल के अनुसार खाद्यान्न का वितरण हो रहा हैं तथा निर्धारित दिवस को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड गोदाम में इसका अनुश्रवण करें। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के हस्ताक्षर/निशान की अभिप्रमाणित प्रति संबंधित गोदाम प्रभारी को उपलब्ध कराना इनकी जिम्मेवारी होगी। खाद्यान्न की आपूर्ति एवं उसकी मात्रा का सत्यापन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति द्वारा की जायेगी तथा उनके द्वारा यह भी सुनिशिचित किया जायेगा कि खाद्यान्न का वितरण निगरानी समिति के समक्ष हो।

ध) **परिवहन अभिकर्त्ता की भूमिका:–** निर्धारित दिवस को पर्याप्त मात्रा में वाहन उपलब्ध कराकर वितरण कराया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के पश्चात SIO की सेवित प्रति को उसी दिन सहायक गोदाम प्रबंधक को उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

3. **प्रखंड गोदाम से GPS युक्त वाहनों से खाद्यान्न को ज0वि0प्र0 दूकानदारों तक पहुँचाने की व्यवस्था:–**

GPS डिवाइस 'लोड सेल' लगाने का मुख्य उद्धेश्य एवं लाभ निम्नांकित है:–

(a) Realtime Vehicle live location & tracking
(b) Unscheduled stoppage alarm
(c) Over speed alarm
(d) device main power cut alarm(Batery Backup)
(e) GPS Antenna tamper alarm
(f) Ignition on/off alarm
(g) Weight reduction alarm

क) **जिला प्रबंधक कार्यालय की भूमिका:–** सभी चयनित अभिकर्त्ता से एकरारनामा के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि सभी वाहनों में GPS डिवाइस 'लोड सेल' के साथ लग गया हैं एवं उनका 'सीम' activate हो चुका है। अगर अभिकर्त्ता द्वारा निविदा शर्त का उपलब्ध किया जाता हैं तो एकरारनामा रद् करने तथा उन्हें काली सूची में डालने हेतु अविलंब कार्रवाई की जाएगी।

ख) **परिवहन अभिकर्त्ता की भूमिका:–** निविदा की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक वाहन को एक रंग से पेंट कराकर उसपर डोर स्टेप डिलेवरी एवं संबंधित जिला का नाम लिखना अनिवार्य होगा। परिवहन अभिकर्त्ता भी User ID एवं Password प्राप्त कर अपने वाहनों का अनुश्रवण करेंगे। अगर निर्धारित रूट के अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी। सभी वाहनों का log book सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी परिवहन अभिकर्त्ता की होगी।

ग) **System Integrator की भूमिका:–** प्रत्येक वाहनों में ससमय GPS डिवाइस 'लोड सेल' लगाना सुनिश्चित करेंगे। प्रयुक्त होने वाले GPS लोड सेल के साथ लग गये हैं एवं उनका Integration निविदा शर्त के अनुरूप हो चुका हैं इसे सुनिश्चित किया जाएगा। जिला में प्रतिनियुक्त IT मैनेजर द्वारा वाहनों का अनुश्रवण किया जाएगा तथा कोई भी त्रुटि पाये जाने पर अविलंब संबंधित पदाधिकारियों को SMS ALERT भेजा जाएगा। सभी प्रकार के वांछित प्रतिवेदनों को उनके द्वारा सुरक्षित

रखा जाएगा। मुख्यालय स्तर के परियोजना प्रबंधक MIS पर वांछित सभी प्रतिवेदनों को निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे। वाहनों के ट्रेंकिग का Record सुरक्षित रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार के आरोप या न्यायालय वाद में साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग किया जा सके।

ध) <u>जिला आपूर्ति कार्यालय की भूमिका:–</u>

जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर डिलेवरी सिड्यूल इस प्रकार तैयार किया जाय कि सभी विक्रेताओं के पास 25 कार्य दिवसों में खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके। उक्त सिड्यूल को सार्वजनिक किया जाय ताकि उपभोक्ताओं को भी जानकारी हो सके। डिलेवरी सिड्यूल तैयार कर इसकी विवरणी दिनांक 20.1.2014 तक निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का रूट चार्ट भी उनके द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. **<u>SMS भेजने की व्यवस्था:–</u>**

क) <u>जिला प्रबंधक की भूमिका:–</u> ज0वि0प्र0 विकेतावार निगरानी समिति के सदस्यों एवं कुछ उपभोक्ताओं का Mobile Number निगम मुख्यालय को 15.1.2014 तक उपलब्ध करायेंगे। जिला स्तर के पदाधिकारियों का भी Mobile Number उनके द्वारा IT मैनेजर को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें SMS भेजा जा सके।

ख) <u>जिला आपूर्ति कार्यालय की भूमिका:–</u> अगर किसी भी वाहन के संबंध में या अन्य अनियमितता के संबंध में SMS प्राप्त होता है तो अविलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

ग) <u>System Integrator की भूमिका:–</u> सभी चिन्हित पदाधिकारियों को SMS भेजेगे। इसके अतिरिक्त निगरानी समिति के सदस्यों तथा इच्छुक लाभुकों को भी SMS से खाद्यान्न पहुँचने की सूचना भेजेंगे। इससे संबंधित सभी प्रपत्र की पर्चि भी जिला प्रबंधक एवं निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

5. <u>जिला पदाधिकारी की भूमिका:–</u>

इस क्रार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला पदाधिकारियों की अहम भूमिका होगी। कम्प्युटराईजेशन से संबंधित जिला स्तर पर प्रशिक्षण क्रमशः 19.1.14 एवं 20.1.14 को जिला मुख्यालय में होगी। दिनांक 19.1.14 को खाद्य निगम के जिला प्रबंधक सहायक गोदाम प्रबंधक एवं कार्यपालक सहायक का प्रशिक्षण होगा जबकि दिनांक 20.1.14 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं कार्यपालक सहायकों का प्रशिक्षण कराया जाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक होगे। जिला पदाधिकारी स्वयं इसका अनुश्रवण करेंगे। कम्प्युटराईजेशन से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदनों को कम्प्युटर

से प्राप्त करने हेतु एक नोडल पदाधिकारी को मनोनीत किया जायेगा, जो सभी प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए जिला पदाधिकारी को प्रगति से अवगत करायेगें। जिला पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग तथा अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जायेगा।

अतः अनुरोध हैं कि उपरोक्त सभी तैयारिया करते हुये प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित तिथि को उक्त कार्यक्रम सफलता पूर्वक लागू हो सके।

विश्वासभाजन

ह0/- 13.1.14
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 447 दिनांक 13.01.14

प्रतिलिपि– सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 13.1.14
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 447 दिनांक 13.01.14

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है अपने स्तर से अनुश्रवण कर सभी विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

ह0/- 13.1.14
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 447 दिनांक 13.01.14

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/बी0 श्री निवासा राव, उपाध्यक्ष, 4G Identity Solution, हैदराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 13.1.14
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 447 दिनांक 13.01.14

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भवदीय स्तर से सभी जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को तदनुसार निदेशित करना चाहेंगे।

ह0/- 13.1.14
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 447 दिनांक 13.01.14

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 13.1.14
प्रबंध निदेशक

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
संकल्प

विषय :— डोर स्टेप डिलेवरी योजना—2016 की स्वीकृति के संबंध में ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के क्रम में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा देना है। इसके आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 प्रतिशत अर्थात 783.74 लाख एवं नगरीय क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत अर्थात 87.42 लाख आबादी कुल 871.16 लाख आबादी को आच्छादित किया जाना है। अधिनियम की धारा—10 के अधीन निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की औपबंधिक डाटा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,62,76,273, शहरी क्षेत्रों में 85,70,400, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 12,80,998 तथा 45 वर्ष की विधवा महिला की 1,67,064 पात्र लाभुकों की संख्या कुल 8,62,94,735 व्यक्तियों का चयन कर ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, द्वारा डाटाबेस उपलब्ध कराया गया है, जिसके विरूद्ध वर्त्तमान में भारत सरकार द्वारा कुल 8,57,12,067 लाभुकों (अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी) के लिए माह अक्टूबर, 2015 से प्राप्त संशोधित 457821.725 मे0टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन के अनुरूप लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य दर 2/— रू0 प्रति किलो गेहूँ एवं 3/— रू0 प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति की जा रही है ।

3. बिहार राज्य में दिनांक 01.02.2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0—196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14.09.2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहुँचाना सुनिश्चित करना है । इसके आलोक में संकल्प संख्या— 8226 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना माह जनवरी 2014 से लागू है। उक्त योजनान्तर्गत कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से भंडार निर्गमादेश निर्गत करना, एस0एम0एस0 के माध्यम से संबंधित को सूचित करना, भंडार में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन से खाद्यान्न तौलने एवं वाहनों में जी0पी0एस0 "लोड सेल" के साथ लगाकर उनके ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है । जन शिकायत निवारण प्रणाली की भी सुदृढ़ व्यवस्था हैं ।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा "खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015" के आलोक में अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई—धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर केन्द्रांश प्राप्त होने एवं डीलर मार्जिन में की गई बढ़ोतरी के आलोक में पूर्व से चालू योजना को संशोधित करने हेतु डोर स्टेप डिलेवरी योजना—2016 लागू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

D:\Year 2014\SECTION 06\Door cabinet Sankap 02.doc

5. **डोर स्टेप डिलेवरी योजना का उदेश्य एवं लक्ष्य**

(क) लक्षित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण करना ।

(ख) खाद्यान्न की गुणवत्ता अक्षुण्ण रखना।

(ग) निर्धारित मात्रा का खाद्यान्न लाभुकों को पहुँचाना।

(घ) पारदर्शिता बनाये रखना।

6. **डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम की कार्य योजना**

इसके कार्यान्यन हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम नोडल अभिकरण नामित है । डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम के अंतर्गत वर्तमान प्रक्रिया एवं प्रावधान के अंतर्गत सम्बद्व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम के प्रखंड स्थित नामित गोदामों तक एवं निगम के नामित गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न का परिवहन एवं भंडारण की व्यवस्था की जाती है । जिलावार नियुक्त परिवहनकर्ता उक्त कार्य को यथावत संपादित करते है। इसके बाद प्रखंड गोदाम से पंचायतवार आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न का परिवहन छोटे वाहनों द्वारा पंचायत में स्थित उचित मूल्य के दुकान तक/पंचायत स्तर पर चिन्हित नोडल स्थानों तक कराया जाता है, जहाँ जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को उनके नाम निर्गत भंडार निर्गमादेश के विरूद्व खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है ।

7. **"अभिहित डिपो" (एफ0सी0आई0 के Designated depots) से जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक खाद्यान्न के संचलन एवं परिवहन की व्यवस्था**

डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत खाद्यान्न का परिवहन "लोड सेल युक्त जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से कराये जाने की व्यवस्था होगी । जी0पी0एस0 यंत्र में "लोड सेल" लगाने से सही समय पर वाहनों की Tracking, Unsheduled stoppage alarm, Over speed Tamper alarm, GPS Antenna Tamper alarm, Ignition on/off alarm, Weight Reduction alarm के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त होगी ।

(i) भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक खाद्यान्न का परिवहन की व्यवस्था

(क) खाद्यान्न का मासिक आवंटन को संबंधित माह में उठाव करने हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव हेतु मासिक कार्यक्रम तैयार कर उसकी प्रति भारतीय खाद्य निगम, परिवहन अभिकर्त्ता, सहायक गोदाम प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में प्रतिनियुक्त उठाव प्रभारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को दी जायेगी ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में खाद्यान्न उठाव हेतु मासिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित संख्या में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त ट्रकों को जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा परिवहन अभिकर्त्ता के माध्यम से प्रतिनियुक्त खाद्यान्न उठाव प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम के उठाव प्रभारी, परियहन अभिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त वाहनों से संबंधित जिला के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में भेजेंगे तथा संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक को गंतव्य स्थान, ट्रक का रजिस्ट्रेशन

नं0, ट्रक डाईवर का नाम एवं उसका मोबाईल नं0, खाद्यान्न की मात्रा तथा प्रस्थान का समय भेजेंगे। संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एस0एम0एस0 प्राप्त होते ही संबंधित ट्रक के सम्पर्क में रहेंगे और गोदाम में पहुँचने की अनुमानित समय से अधिक होने पर परिवहन अभिकर्त्ता, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे । राज्य खाद्य निगम के गोदाम में खाद्यान्न वाला ट्रक पहुँचने की सूचना सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा उठाव प्रभारी को एस0एम0एस0 द्वारा दी जायेगी जिसमें उन्हें एस0एम0एस0 से प्राप्त सूचना का व्यौरा रहेगा ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में प्रतिनियुक्त उठाव प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वे परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये ट्रको में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल लगे रहने की जांच कर लेंगे तथा जिस ट्रक में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल नहीं लगा हो उस ट्रक से खाद्यान्न नहीं भेजेंगे तथा इसकी सूचना जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को देंगे ।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न से लदे ट्रकों को परिवहन प्रारंभ होते ही निगम द्वारा चयनित संस्था द्वारा इसकी ट्रैकिंग प्रारंभ कर दी जायेगी । निर्धारित रूट से विचलन होने अथवा निर्धारित रूट के बीच में जी0पी0एस0 ऑफ होने के Alert की सूचना संबंधित परिवहन अभिकर्त्ता, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को निगम द्वारा चयनित संस्था द्वारा दी जाएगी ।

(ii) खाद्यान्न के परिवहन की व्यवस्था :–

परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा सभी वाहनों को एक रंग (पीले रंग के आधार पर) से रंगवाकर उसपर नीले रंग से जिला का नाम एवं '**डोर स्टेप डिलेवरी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण**' लिखा गया है, का अनुपालन राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। सभी वाहनों को निर्धारित रूट से ही डीलर की दुकानों तक पहुँचना है। परिवहन सह हथालन अभिकर्ता की नियुक्ति पूर्व की भाँति राज्य खाद्य निगम द्वारा निविदा के माध्यम से की जायेगी।

आकस्मिक स्थिति (यथा – आपदा प्रबंधन के दौरान निर्बाध खाद्यान्न की आपूर्ति) में भी खाद्यान्न का परिवहन जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहनों से ही की जायेगी ।

परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा प्रखंड गोदाम में पदस्थापित सहायक प्रबंधक के निदेशानुसार वाहनों को अपनी देख–रेख में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान/पंचायत स्थल पर चिन्हित नोडल स्थान तक खाद्यान्न पहुँचाया जाता है एवं निर्गमादेश के अनुरूप दुकानदारों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है तथा वाहन चालन एवं निर्गमादेश की सेवित प्रति अपने नियंत्री सहायक प्रबंधक को उसी दिन उपलब्ध कराया जाता है। दुकानदारों की भंडारपंजी एवं निर्गमादेश की पीली प्रति में भी उनके द्वारा प्रविष्टि की जाती है। प्रत्येक गोदाम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दुकानदार का हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर गोदाम प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर मिलान कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

(iii) कम्प्यूटर के माध्यम से भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करने हेतु अपनायी जानेवाली प्रक्रिया निम्नवत् हैं :–

(क) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त खाद्यान्न के आवंटन को निगम मुख्यालय में जिलावार खाद्यान्न को उपावंटित कर कम्प्यूटर में उक्त ऑकड़ा को फ्रीज (Freeze) किया जाता है ।

(ख) जिला स्तर के पदाधिकारी द्वारा अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड द्वारा प्राप्त आवंटन को प्रखंडवार में आवंटित कर उनके द्वारा आवंटन के ऑकड़ों को फ्रीज (Freeze) किया जाता है ।

(ग) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार उपावंटन किया जाता है ।

(घ) सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अपने आवंटन के अनुरूप ई–चालान के माध्यम से किसी भी बैंक से राशि का हस्तातंरण निगम के अधिकृत खाते में आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से की जाती है ।

(ङ) डीलर द्वारा जमा की गई राशि की सम्पुष्टि होते ही जिला प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिकली भंडार निर्गमादेश तैयार करते हैं एवं एस0एम0एस0 से इसकी सूचना डीलर को, संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को तथा गोदाम के प्रभारी प्रबंधकों को भी दी जाती है ।

(iv) खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था :–

प्रत्येक प्रखंड में डीलर को खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु डिलेवरी शिड्युल जिला स्तर पर तैयार किया जाता है । डिलेवरी शिडयूल के अनुसार निर्धारित दिवस का प्रचार–प्रसार कर वितरण सुनिश्चित किया जाता है । पंचायत में खाद्यान्न प्राप्ति की सूचना एस0एम0एस0 से स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं सतकर्ता समितियों को दिया जाता है । जन विरतण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा निर्धारित तिथि को खाद्यान्न नही लिये जाने की स्थिति में परिवहन खर्च की वसूली संबंधित विक्रेता से की जाती है जिसका निर्धारण राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता या उनके द्वारा नामित व्यक्ति ही खाद्यान्न की प्राप्ति करते है जिसका सत्यापन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाता है । सहायक गोदाम प्रबंधक की पूर्ण जिम्मेवारी है कि गोदाम से उठाव ससमय कराते हुए पंचायत में प्रातः 10.00 बजे खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था करें ।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा उसी के अनुरूप खाद्यान्न की व्यवस्था कर एस0आई0ओ0 के अनुसार खाद्यान्न को उक्त डीलर के दुकान पर उक्त दिवस को खाद्यान्न भेजने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाता है। सहायक गोदाम प्रबंधक, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता को एस0आई0ओ0 की प्रति एवं ट्रक / ट्रैक्टर का चालान को भी डीलेवरी एजेंट को सौंपते हैं तथा उसकी प्राप्ति डीलर से कराकर वापस सहायक गोदाम प्रबंधक को सौंपी जाती हैं।

(v) खाद्यान्न को तौलने की व्यवस्था :–

परिवहन अभिकर्ता का यह दायित्व है कि डिलेवरी शिडयूल के अनुसार निर्धारित तिथि को एस0आई0ओ0 के अनुरूप आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का वजन कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न मुहैया करायें एवं सही माप का प्रमाण–पत्र जन वितरण प्रणाली विक्रेता से प्राप्त करें ।

प्रत्येक कार्यरत प्रखंड गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन की व्यवस्था की गई है एवं प्रत्येक गोदाम पर लैपटॉप के साथ कर्मी की व्यवस्था की गई है । प्रखंड गोदाम में प्राप्त

खाद्यान्न के आगत एवं निर्गत होने पर इसकी प्रविष्टी कम्प्यूटर के माध्यम से की जाती है जिससे गोदाम की इनभेंटरी अविलंब तैयार हो जाती है । जन वितरण प्रणाली के दुकान पर भी खाद्यान्न के वजन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन की व्यवस्था राज्य खाद्य निगम द्वारा की जा रही है ।

(vi) एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना की व्यवस्था :–

निर्धारित तिथि को डीलर के खाद्यान्न को वाहनों में लोड करने के पश्चात् डीलर को, पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों को तथा संबंधित पदाधिकारियों को भी एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था की गई है। निगम के बेवसाईट पर इच्छुक उपभोक्ता भी अपना मोबाईल नम्बर का निबंधन कराकर इस आशय की सूचना प्राप्त कर सकते है, इसकी व्यवस्था राज्य खाद्य निगम द्वारा की जा रही है ।

(vii) जी0पी0एस0 अनुश्रवण हेतु 24 × 7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न का परिवहन दिन एवं रात अर्थात 24 घंटे किया जाता है इस कारण खाद्यान्न परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों में लगे जी0पी0एस0 की ट्रेकिंग हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा 24 × 7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना निगम मुख्यालय में की जाएगी।

(viii) जन शिकायत निवारण प्रणाली :–

राज्य खाद्य निगम मुख्यालय में टॉल फ्री नं0– 18003456194 की व्यवस्था की गई है जिसमें शिकायत दर्ज की जा सकती है । प्राप्त शिकायतों को संबंधित पदाधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है । संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई की जाती है । उक्त शिकायत का निवारण कर इसकी सूचना दी जाती है ।

(ix) बेवपोर्टल की व्यवस्था :–

खाद्यान्न वितरण एवं एस0आई0ओ0 तथा जन शिकायत संबंधी अन्य जानकारी के लिए निगम द्वारा sfc.bihar.gov.in नामक बेवपोर्टल की व्यवस्था भी सामान्य नागरिकों के लिए की गई है ।

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के पात्र लाभुकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन मद एवं डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत निम्नवत् दर से राशि का भुगतान किया जा रहा है :–

(दर · रू0 प्रति क्वींटल में)

क्र0	विवरणी	स्वीकृत राशि		
		मार्जिन मनी एवं अन्य (संकल्प सं0– 2395 दिनांक 20.03.2015)	डोर स्टेप डिलेवरी योजना (संकल्प सं0– 8832 दिनांक 20.11.2014)	कुल स्वीकृत राशि
1	परिवहन एवं हथालन	38.40	38.40	76.80
2.	डीलर कमीशन	40.00	शून्य	40.00
3.	वैट	10.41	शून्य	10.41
4.	स्थापना	7.77	7.77	15.54

D:\Year-2014\SECTION-06\Door cabinet_Sankap 02.doc

21/3/2016

5.	भंडारण	3.89	0.40	4.29
6.	कम्प्यूटराईजेशन	0	4.08	4.08
7.	आकस्मिकता	01.00	01.00	02.00
	कुल योग:–	101.47	51.65	153.12

उक्त वर्णित दर में से कम्प्यूटराईजेशन मद में भुगतेय राशि 4.08 रू0 प्रति क्वींटल के दर का भुगतान कम्प्यूटराईजेशन मद के अन्तर्गत किया जाएगा ।

9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा–22(4)(घ) के साथ पठित धारा 39(2)(ङ) के आलोक में भारत सरकार द्वारा "खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015" अधिसूचित किया गया है। इसके अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्नों के अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई और उचित दर दूकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर उनके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय सरकार का अंश निम्नवत् निर्धारित किया गया है:–

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्ग	व्यय के सन्नियम (दर रूपये प्रति क्विंटल)			केन्द्रीय अंश (प्रतिशत में)
	अन्तर–राज्यीय संचालन और उठाई–धराई	उचित दर दुकानों के डीलर का मार्जिन		
		मूल	पॉईंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन मनी	
सामान्य	65	70	17	50

राज्य में FPS Automation योजना के लागू होने के पश्चात् खाद्यान्न का वितरण पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से करने पर अतिरिक्त मार्जिन मनी 17/– रू0 प्रति क्वींटल का भुगतान किया जाएगा जिसमे केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत होगी ।

10. उपरोक्त कंडिका 9 में वर्णित खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के तहत भारत सरकार के द्वारा तय किये गये दर एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा मांगा गयी दर के आलोक में उक्त दोनों योजनाओं को एकीकृत करते हुए भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना में वास्तविक व्यय की गणना निम्नवत् की गई है :–

(दर - रू0 प्रति क्वींटल में)

क्र0	विवरणी	वास्तविक व्यय की राशि	केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि	
			भारत सरकार	राज्य सरकार
1	(क) परिवहन एवं हथालन * (भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदाम से)	76.80	32.50	44.30
2.	डीलर कमीशन	70.00	35.00	35.00
3.	स्थापना	15.54	शून्य	15.54
4.	भंडारण	4.29	शून्य	4.29
5.	आकस्मिकता	2.00	शून्य	2.00
6.	वैट	10.41	शून्य	10.41
	कुल :–	179.04	67.50	111.54

* भारत सरकार से प्राप्त वार्षिक आवंटन में से सी0एम0आर0 (राईस) मद से प्राप्त खाद्यान्न का परिवहन यदि टी0पी0डी0एस0 के नामित गोदाम से जनवितरण प्रणाली दुकानों तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत किया जाता है, तो परिवहन एवं हथालन हेतु निर्धारित 38.40 रू0 प्रति क्वींटल की दर में से भारत सरकार से प्राप्त 32.50 रू0 प्रति क्वींटल के अलावा अवशेष राशि राज्यांश मद से देय होगी ।

[signature] 31/3/2016

उक्त वर्णित राशि में से वैट की राशि की मांग भारत सरकार से की गई है। उक्त राशि भारत सरकार से प्राप्त होने की स्थिति में इसका समायोजन राज्य सरकार द्वारा निर्गत राशि से किया जाएगा । डीलर कमीशन में बढ़ोतरी के पश्चात् जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत अपना कमीशन 70/– रू0 प्रति क्वींटल रखते हुए 130/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से गेहूँ एवं 230/– प्रति क्वींटल की दर से चावल का मूल्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को जमा किया जाएगा ।

11. भारत सरकार के अधिसूचना सं0–जी0एस0आर0–636 दिनांक 17 अगस्त 2015 की कंडिका 10(1) के अनुसार केन्द्रीय अंश के आधार पर आकलित व्यय के केन्द्रीय अंश का 75 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार के लिए अग्रिम रूप में जारी होने के पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा अग्रिम रूप में राज्यांश की राशि विमुक्त की जाएगी । पूर्व वर्ष में वितरित खाद्यान्न की मात्रा को आधार मानते हुए राज्य सरकार नोडल एजेंसी को तिमाही अग्रिम भुगतान करेगी । नोडल एजेंसी से पूर्व तिमाही में किये गये भुगतान का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दूसरी तिमाही का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा ।

i. यह योजना 01.04.2016 से लागू की जाएगी । इसके लागू किये जाने की तिथि से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन 70 रु0 प्रति क्विंटल की दर से भुगतेय होगा ।

ii. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लागू होने की तिथि से खाद्य सुरक्षा (राज्यों के सहायता) नियम 2015 के अनुसार माह मार्च, 2014 (वित्तीय वर्ष 2013–14), वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 का केन्द्रांश प्राप्त होने पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को पूर्व में भुगतान की राशि का समायोजन निगम के विपत्रों में से की जाएगी ।

12. अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों हेतु भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन मद में भुगतान हेतु कंडिका–10 एवं 11 में वर्णित दर के अनुसार भुगतान एवं समेकित रूप से डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 की स्वीकृति का प्रस्ताव है ।

13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी हेतु भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन के मद में व्यय की जाने वाली राशि का भुगतान में होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या–18 उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–P 3456001020306 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0– P 3456007890302, विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–P 3456007960302 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी एवं मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, लघु शीर्ष 102–सिविल पूर्ति योजना उपशीर्ष 0206 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन विपत्र कोड सं0–P 3456001020206 विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से किया जाएगा।

D:\Year -2014\SECTION-06\Door cabinet Sankap_02.doc

21/2/2016

1478 12

14. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 21.03.2016 को मद संख्या 29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । संचिका संख्या-प्र06- विविध-77/2015-23/टि0 ।

15. संकल्प पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-77/2015 2151 खाद्य-पटना/दिनांक 31.03.16
प्रतिलिपि - ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-77/2015 2151 खाद्य-पटना/दिनांक- 31.03.16
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06 विविध-77/2015 2151 खाद्य-पटना/दिनांक- 31.03.16
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06 विविध-77/2015 2151 खाद्य-पटना/दिनांक- 31.03.16
प्रतिलिपि - बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/अपर सचिव-सह-सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

D:\Yaa ...SECTION 06\2016 cabinet Sankap 03.doc

477 म

ज्ञापांक– प्र06–विविध–77/2015 2151 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/2016

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–77/2015 2151 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/2016

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–77/2015 2151 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

31/3/2016

सरकार के सचिव।

D:\Year 2014\SECTION 06\Door cabinet Sankap_02.doc

250

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
सोन भवन,5वीं मंजिल,वीरचन्द पटेल पथ–पटना ।

पत्र संख्या– 3573 पटना, दिनांक– 16.4.2014

प्रेषक,

डा0 दीपक प्रसाद,भा0प्र0से0,
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

विषयः– **खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0/चावल का खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजना अन्तर्गत लाभुकों के बीच वितरण हेतु निर्गमन की प्रकिया से संबंधित मार्ग निर्देश के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– निगम मुख्यालय पत्रांक–9955 दिनांक–04.11.2013 एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्रांक–7714 दिनांक–06.12.2013

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के कार्यान्वयन एवं दिनांक–01.02.14 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने सम्बन्धित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में उक्त योजनाओं का प्रारंभिक चरण के सफल कार्यान्वयन हेतु आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

आप अवगत हैं कि खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत कय किये गये अधिप्राप्ति धान की कुटाई उपरांत चिन्हित सी0एम0आर0 गोदामों में **औसत गुणवत्ता युक्त (FAQ) सी0एम0आर0 अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है जिसका निकट भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत उपयोग किया जाना अपेक्षित है।** साथ ही राज्य खाद्य निगम की सीमित भंडारण क्षमता के अनुकूलतम(Optimum)उपयोग हेतु आवश्यक है कि **FIFO (First In First Out)** सिद्धान्त का अनुपालन कर विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0 /चावल का **निर्धारित समय सीमान्तर्गत पारदर्शिता सहित निर्गमन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके।**

इस दिशा में विषयांकित मामले पर व्यापक विचार–विमर्श के कम में अन्य राज्यों में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत अपनाई गई प्रकिया तथा पूर्वकालिक व्यवस्था अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्र प्रबंधक की भूमिका की समीक्षा की गयी तथा निगम मुख्यालय द्वारा विमुक्ति आदेश (R.O.)के निर्गमन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाई यथा–जिलावार विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर/चावल के अंतिम भंडारण शेष का भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता की जाँच में असमर्थतता एवं उक्त बिन्दुओं से संबंधित अद्यतन सूचना की निरंतर उपलब्धता के अभाव में विमुक्ति आदेश निर्गमन में संभावित विलम्ब से प्रासंगिक प्रकिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना, को दृष्टिपथ रख **निगम के पत्रांक–9955 दिनांक–04.11.13 के माध्यम से संसूचित विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना की कार्य योजना में उल्लेखित प्रकिया के अतिरिक्त खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0/चावल का खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजना अन्तर्गत लाभुकों के बीच वितरण हेतु निर्गमन की प्रकिया निर्धारित की गयी है** जिसके मुख्य अंश निम्नवत है:–

1.1 सम्बद्ध सीर0एम0आर0 गोदाम में **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर /चावल की उपलब्धता की जाँच एवं भौतिक सत्यापन वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) एवं क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय से नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी तथा वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) द्वारा उपर्युक्त सी0एम0आर/चावल की गुणवत्ता की जाँच विहित प्रकियानुसार सम्बद्ध सी0एम0आर गोदाम के गुण नियंत्रक के सहयोग से माह के प्रत्येक शुक्रवार को की जायेगी तथा जाँच प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र कमशः प्रपत्र–'क' एवं प्रपत्र–'ख' में जिला पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के कार्यालय, क्षेत्र प्रबंधक, भा0 खा0 नि0 के**

71

कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को शनिवार के 11 बजे पूर्वाह्न तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि को निर्धारित मासिक रोस्टर की सूचना एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध करायी जाएगी तथा अपरिहार्य कारणों से भा0खा0नि0 के प्रतिनिधि की अनुपलब्धता की स्थिति में वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति)द्वारा उक्त आशय का संज्ञान जाँच प्रतिवेदन में लेते हुए जाँच प्रतिवेदन सभी संबंधित प्राधिकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। विहित प्रकियान्तर्गत गुणवत्ता जाँच के कम में सी0एम0आर/चावल का **Sample** कमशः सी0एम0आर गोदाम,जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में रक्षित किया जाएगा ताकि **भविष्य में आवश्यकतानुसार Sample की जाँच की जा सके।**

2.1 यदि गुणवत्ता जाँच के कम में सी0एम0आर/चावल की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार संबंधित स्टैक को BRL घोषित किया जाएगा। **BRL घोषित होने की स्थिति में स्टैक पर Tally card लगाया जाएगा जिसपर "BRL–Not fit for consumption" संबंधित सूचना प्रदर्शित की जायेगी ताकि भूलवश संबंधित स्टैक से खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत खाद्यान्न निर्गत न हो।** वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) द्वारा जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र–'ख' में जाँच स्थल पर **चार प्रतियों** में तैयार कर एक–एक प्रति कमशः सम्बद्ध सी0एम0आर गोदाम के सहायक प्रबंधक/गुण नियंत्रक,जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम के कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतिवेदन ई–मेल के माध्यम से निगम मुख्यालय को प्रेषित कर एक प्रति अपने कार्यालय में रक्षित रखा जायेगा। जाँच प्रतिवेदन का संज्ञान लेते हुए सहायक प्रबंधक द्वारा तत्काल **Acceptance Note register** के संबंधित पृष्ठ में प्रासंगिक स्टैक में सम्मिलित लॉटस के समक्ष प्रपत्र के अभ्युक्ति स्तम्भ में BRL से संबंधित सूचना लाल कलम से अपने हस्ताक्षर सहित अंकित किया जायगा। इसके अतिरिक्त संबंधित लॉटस के सेवित Acceptance Note की प्रति में उक्त आशय का इन्द्राज किया जायेगा। साथ ही BRL घोषित स्टैक में भंडारित मात्रा को भंडार पंजी में घटाकर उक्त आशय यथा–**BRL** स्टैक में भडारित मात्रा, से संबंधित इन्द्राज अस्वीकृत सी0एम0आर की पंजी **(Rejection Register)** में अंकित किया जायेगा। तदनुसार सहायक प्रबंधक द्वारा BRL घोषित स्टैक में सम्मिलित लॉटस को उपलब्ध कराने वाले मिल के मालिकों को तत्काल **नोटिस के माध्यम से लिखित सूचना उपलब्ध कराते हुए BRL घोषित स्टैक में सम्मिलित लॉटस का उठाव 24 घंटों के अन्दर सुनिश्चित करने का निदेश दिया जायेगा।** साथ ही प्रासंगिक नोटिस में निर्धारित समय सीमान्तर्गत BRL घोषित लॉटस का उठाव संबंधित मिल के मालिक अथवा प्रतिनिधि द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में **परिवहन एवं हथालन के अतिरिक्त भंडारण शुल्क की वसूली निर्धारित प्रकियानुसार किये जाने सबंधित सूचना भी अंकित रहेगी।** इसके अतिरिक्त प्रासंगिक नोटिस का तामिला निर्धारित प्रकियानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संधारित किया जायेगा। सहायक प्रबंधक द्वारा कृत कार्रवाई की सूचना जिला प्रबंधक के कार्यालय को उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। **जिला प्रबंधक द्वारा प्रासंगिक सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल संबंधित मिल/मिलों के सी0एम0आर0/चावल के लॉट्स के प्राप्ति पर रोक लगाया जायेगा।** संबंधित मिल/मिलों द्वारा BRL घोषित स्टैक में सम्मिलित सभी लॉट्स का उठाव किये जाने के उपरांत उक्त आशय का अनुपालन प्रतिवेदन जिला प्रबंधक के कार्यालय में समर्पित किये जाने की स्थिति में जिला प्रबंधक द्वारा प्रासंगिक रोक पर पुनर्विचार करते हुए चेतावनी के साथ मिल/मिल के मालिकों को शेष अनापूरित (यदि हो तो) गुणवत्ता युक्त सी0एम0आर0/चावल जमा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि प्रथम नोटिस के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर मिल/मिलों द्वारा BRL घोषित स्टैक में सम्मिलित सभी लॉट्स का उठाव नहीं किया जाता है तो **जिला प्रबंधक के कार्यालय से द्वितीय नोटिस अद्यतन भंडारण शुल्क सहित संबंधित मिल /मिलों को निर्गत की जायेगी।** साथ ही उक्त नोटिस के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित विषय वस्तु में वांछित प्रगति नहीं होने की स्थिति में **जिला प्रबंधक के कार्यालय द्वारा तृतीय एवं अंतिम नोटिस अद्यतन भंडारण शुल्क, लॉट्स के निर्धारित दर के अनुसार कुल मूल्य एवं परिवहन तथा हथालन शुल्क को वसूलीय मद में दर्शाते हुए,संबंधित मिल/मिलों निर्गत किया जायेगा।** तृतीय एवं अंतिम नोटिस के उपरांत विषय वस्तु में वांछित प्रगति के अभाव में जिला प्रबंधक द्वारा वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) के BRL घोषित प्रतिवेदन एवं तदनुसार सम्बद्ध सहायक प्रबंधक द्वारा निर्गत प्रथम नोटिस (तामिला प्रतिवेदन सहित) एवं जिला प्रबंधक के कार्यालय

द्वारा निर्गत द्वितीय एवं तृतीय नोटिस (तामिला प्रतिवेदन सहित) का संज्ञान लेते हुए निगम के **"किसी प्रकार की क्षति मान्य नहीं होगी"** सिद्धान्त के आलोक में निगम के हित की रक्षा करने हेतु तृतीय नोटिस में अंकित कुल वसूलनीय राशि की वसूली संबंधित मिल/मिलों के बैंक गारंटी से किये जाने तथा सम्बद्ध सी0एम0आर0 गोदाम में भंडारित BRL घोषित स्टैक में सम्मिलित सभी लॉट्स की नीलामी हेतु अनुशंसा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नीलामी समिति को करते हुए **सकारण आदेश पारित करेगें** तथा वसूलनीय राशि की वसूली एवं नीलामी की प्रकिया सकारण आदेश पारित करने की तिथि के कमशः एक पक्ष एवं एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन प्रतिवेदन निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

3.1 विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0/चावल का नियमानुसार निर्गमन जिला स्तर पर चिन्हित **वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) द्वारा अपने हस्ताक्षर से निर्गत विमुक्ति आदेश (R.O.) के विरूद्ध निर्धारित विहित प्रकियानुसार किया जाना अपेक्षित है।**

3.2 **विमुक्ति आदेश (R.O.) चार प्रतियों में तैयार की जायेगी।** विमुक्ति आदेश की कार्यालय प्रति वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) के कार्यालय में सुरक्षित रहेगी। शेष तीन प्रतियाँ जिला प्रबंधक के कार्यालय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) द्वारा प्रेषित की जायेगी।

4.1 **माह के प्रत्येक शनिवार को वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) द्वारा जिलान्तर्गत कियाशील सी0एम0आर0गोदाम/गोदामों में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0/चावल के अन्तिम भंडार शेष के आँकड़ों एवं गुणवत्ता संबंधित सूचना विहित प्रपत्र-'क' एवं प्रपत्र-'ख' में जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम के कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को संसूचित किये जाने के उपरांत संबंधित जिला प्रबंधक के कार्यालय द्वारा उक्त मात्रा के सी0एम0आर0/चावल के विमुक्ति आदेश के कय हेतु निर्धारित दर के अनुसार कुल राशि जिला स्तरीय कियाशील अधिप्राप्ति ऋण खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस (आगामी सप्ताह का सोमवार) को अनिवार्य रूप से हस्तान्तरित किया जायगा।**

5.1 विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0/चावल की मात्रा की उपलब्धता के आलोक में **Surplus** एवं **Deficit** जिलों के बीच आवश्यकतानुसार सी0एम0आर0/चावल के सड़क/रेल मार्ग से हस्तान्तरण हेतु निगम मुख्यालय के निदेश के आलोक में **Deficit** जिला के जिला प्रबंधक/जिला प्रबंधकों द्वारा संबंधित **Surplus** जिला के बिकेन्द्रीकृत स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0/चावल के विमुक्ति आदेश के कय हेतु निर्धारित दर से कुल राशि संबंधित **Surplus** जिला स्तरीय कियाशील अधिप्राप्ति ऋण खाता में **RTGS/NEFT** के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाएगा।

6.1 **वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) द्वारा जिला स्तरीय कियाशील अधिप्राप्ति ऋण खाता में राशि के हस्तान्तरण के सत्यापनोपरांत विहित प्रकियानुसार विमुक्ति आदेश(R.O.) निर्गत किया जाएगा।** (प्रपत्र-**R**संलग्न)

7.1 जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के कार्यालय द्वारा प्राप्त विमुक्ति आदेश(R.O.) से संबंधित इन्द्राज **R.O.**पंजी में करने के उपरांत निर्गत प्रस्तावित अग्रिम उठाव कार्यकम के अनुसार विमुक्ति आदेश (R.O.) के विरूद्ध सी0एम0आर0/चावल का उठाव सक्षम प्राधिकार यथा-उठाव प्रभारी द्वारा किया जाएगा। **इस दिशा में जिला के उठाव प्रभारियों का विस्तृत एवं लघु हस्ताक्षर जिला प्रबंधक द्वारा अभिप्रमाणित कर पूर्व में जिलान्तर्गत कियाशील सभी सी0एम0आर0गोदाम /गोदामों में उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न के उठाव एवं निर्गमन के पूर्व संबंधित सी0एम0आर0 गोदाम के सहायक प्रबंधक उठाव प्रभारी के हस्ताक्षर का मिलान कर उनकी पहचान के बिन्दु पर संतुष्ट होने के उपरांत खाद्यान्न के उठाव एवं निर्गमन की अनुमति प्रदान करेगें।**

7.2 इसके अतिरिक्त **सी0एम0आर0 गोदाम से उठाव तथा संबंधित लक्षित जन वितरण प्रणाली के गोदाम पर सी0एम0आर0/चावल के प्राप्ति की प्रकिया की विडियोग्राफी जिला प्रबंधक द्वारा कमशः संबंधित उठाव प्रभारी एवं सहायक प्रबंधक के समक्ष सुनिश्चित करायी जाएगी।**

8.1 साथ ही निगम मुख्यालय द्वारा अनुमोदित अग्रिम उठाव कार्यकम के अनुसार विमुक्ति आदेश (R.O.) के विरूद्ध अन्य जिला को सड़क/रेल मार्ग से सी0एम0आर0/चावल का हस्तान्तरण उपर्युक्त प्रकिया अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। **उल्लेखनीय है कि Deficit जिला/जिलों के जिला प्रबंधक द्वारा परिवहन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन/रेलवे रेक, सुरक्षा कर्मी एवं उठाव कर्मी की उपलब्धता एवं प्रबंधन सुनिश्चित करायी जाएगी तथा उक्त आशय की अग्रिम सूचना ससमय संबंधित जिला प्रबंधक(Surplus) एवं निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायगी ताकि खाद्यान्न के उठाव में अनावश्यक विलम्ब न हो।**

9.1 सी0एम0आर0 गोदाम/गोदामों से निर्गत सी0एम0आर0/चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व जाँच दल में सम्मिलित वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) एवं संबंधित सी0एम0आर गोदाम के सहायक प्रबंधक एवं गुण नियंत्रक का होगा।

10.1 सी0एम0आर0 गोदाम में विकेन्द्रीकृत स्त्रोत के सी0एम0आर/चावल का आगत एवं निर्गमन अलग-अलग कार्य दिवस पर संचालित किया जायेगा। फलतः जिस दिन किसी सी0एम0आर गोदाम पर विकेन्द्रीकृत स्त्रोत से सी0एम0आर/चावल का निर्गमन किया जाता है तो उक्त कार्य दिवस को संबंधित सी0एम0आर0 गोदाम में आगत की प्रकिया अनिवार्य रूप से बाधित रखी जायेगी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा अग्रिम कार्यक्रम तैयार करने के क्रम में ध्यान रखा जायेगा कि संबंधित सी0एम0आर गोदाम पर एक ही कार्य दिवस पर आगत एवं निर्गमन की प्रकिया संचालित नहीं की जाय तथा उक्त आशय की सूचना सभी संबंधित को पूर्व में ससमय प्रेषित की जाय ताकि कार्य दिवस का उपव्यय न हो।

11.1 संबंधित सहायक प्रबंधक द्वारा विहित प्रक्रियानुसार सी0एम0आर0 गोदाम के संधारित पंजियों का अद्यतीकरण सुनिश्चित किया जाएगा तथा उठाव से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला प्रबधक,राज्य खाद्य निगम एवं वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) के कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

12.1 विकेन्द्रीकृत स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0/चावल के उठाव से संबंधित अभिलेख, पावती (अन्य जिलों की पावती सहित) एवं वित्तीय मामलों का नियमानुसार संधारण, मिलान एवं अंकेक्षण समय सीमान्तर्गत कराने का दायित्व संबंधित जिला प्रबंधक का होगा। सी0एम0आर0 गोदाम से विमुक्ति आदेश में अंकित खाद्यान्न की मात्रा के उठाव के उपरांत जिला प्रबंधक के कार्यालय में प्राप्त दो सेवित विमुक्ति आदेश की प्रतियों में से एक सेवित प्रति का उपयोग केन्द्र सरकार के समक्ष विहित प्रकियानुसार अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आगामी तिमाही हेतु अग्रिम की राशि की माँग/अग्रिम के रूप में प्राप्त पूर्व तिमाही की राशि के समायोजन हेतु किया जा सकेगा।

13.1 विमुक्ति आदेश (R.O.) में अंकित उठाव की अंतिम तिथि तक सी0एम0आर0/चावल नहीं उठाये जाने की स्थिति में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के कार्यालय से अवधि विस्तार संबंधित विहित प्रपत्र में अनुरोध पत्र की प्राप्ति की दिशा में आगामी पक्ष (15 दिन तक) हेतु सी0एम0आर0/चावल के उठाव की अवधि के विस्तार हेतु संबंधित वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) सक्षम प्राधिकार होगें। यदि किसी कारणवश प्रथम विस्तार अवधि अन्तर्गत सी0एम0आर0/चावल का उठाव नही किया जाता है तो द्वितीय एवं अंतिम अवधि विस्तार हेतु मुख्यालय में पदस्थापित टी0पी0डी0एस0/खाद्य सुरक्षा के प्रभारी पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होगें।

14.1 खरीफ विपणन मौसम 2013-14 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत अधिप्राप्ति धान की कुटाई के उपरांत सी0एम0आर0/चावल तथा रब्बी विपणन मौसम 2014-15 में प्रासंगिक योजनान्तर्गत गेहूँ की प्राप्ति सी0एम0आर गोदाम पर सामान्य रूप से होती है। दोनों प्रकिया को निर्बाध रूप से संचालित करने की दिशा में जिला प्रबंधक द्वारा उत्कृष्ट प्रबंधक की भूमिका निभाते हुए सीमित भंडारण क्षमता की अनुकूलतम (Optimum)उपयोग करने हेतु कैप स्टोरेज अथवा ससमय खाद्यान्न का Evacuation सुनिश्चित करना होगा तथा विकेन्द्रीकृत स्त्रोत से प्राप्त खाद्यान्न का निर्गमन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना होगा।

विमुक्ति आदेश (R.O.) के निर्गमन की प्रकिया की निरंतरता (Frequency) बढ़ाने अथवा घटाने के बिन्दु पर आवश्यकतानुसार निगम मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उपर्युक्त प्रकिया के समुचित, सुलभ, पारदर्शिता युक्त एवं सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर निम्न पदाधिकारियों की भूमिका अहम् है जिसका उल्लेख निम्नवत हैः-

(I) **वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति)**

क- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर0/चावल की गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन एवं सी0एम0आर0 गोदाम में अंतिम भंडारण शेष से संबंधित प्रतिवेदन माह के प्रत्येक शुक्रवार को तदनुसार सी0एम0आर0/चावल की गुणवत्ता एवं भौतिक जाँच सुनिश्चित करते हुए शनिवार को 11.00 बजे पूर्वाहन् तक संबंधित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के कार्यालय एवं निगम मुख्यालय में वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। सी0एम0आर0 गोदाम/गोदामों से निर्गत सी0एम0आर0/चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मूल दायित्व वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) का होगा।

ख– जिला प्रबंधक के कार्यालय से RTGS/NEFT के माध्यम से जिला स्तरीय कियाशील अधिप्राप्ति ऋण खाता में हस्तान्तरित राशि के सत्यापनोपरांत वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) द्वारा राशि की प्राप्ति की तिथि अथवा विशेष परिस्थिति में आगामी आगामी कार्य दिवस में अपने हस्ताक्षर से विमुक्ति आदेश(R.O.) निर्गत किया जाएगा। साथ ही निर्गत विमुक्ति आदेश (R.O.) की सूचना जिला पदाधिकारी के कार्यालय/जिला आपूर्ति शाखा एवं निगम मुख्यालय को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का दायित्व वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) का होगा।

ग– यद्यपि वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) द्वारा जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य यथा जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य हेतु संचालित निगम कय केन्द्र का प्रबंधन, पात्रता प्राप्त मिलों से एकरारनामा,एकरारनामित मिलों को निर्गमादेश के माध्यम से अधिप्राप्ति धान का निर्गमन एवं एकरारनामित मिलों द्वारा निर्गत धान के विरूद्ध समानुपातिक मात्रा में सी0एम0आर0 सम्बद्ध सी0एम0आर0 गोदाम पर निर्धारित समय सीमान्तर्गत जमा करने. के निष्पादन में जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम को सहयोग प्रदान किया जाना है, किन्तु प्रासंगिक कार्य यथा–विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर/चावल के गोदाम में भौतिक सत्यापन, गुणवत्ता जाँच एवं जिला स्तरीय कियाशील अधिप्राप्ति ऋण खाता में राशि के हस्तान्तरण के सत्यापनोपरांत विमुक्ति आदेश (R.O.) निर्गत करने की दिशा में वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) की भूमिका स्वतंत्र रहेगी।

(II) <u>उठाव प्रभारी</u>

क– खाद्यान्न के उठाव से संबंधित अग्रिम कार्यक्रम का संबंधित सी0एम0आर0गोदाम पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने का दायित्व उठाव प्रभारी का होगा।

ख– विमुक्ति आदेश(R.O.)के विरूद्ध नियमानुसार सम्बद्ध सी0एम0आर0 गोदाम से सी0एम0आर/चावल के उठाव का दायित्व उठाव प्रभारी का होगा। खाद्यान्न के उठाव के पूर्व उठाव प्रभारी द्वारा विमुक्ति आदेश(R.O.) के साथ संलग्न प्रावरण (Covering letter) पत्र में उल्लेखित लक्षित जन वितरण प्रणाली के गोदाम के नाम एवं उपावंटित खाद्यान्न की मात्रा के आलोक में खाद्यान्न से लदे वाहनों को निर्गत किये जानेवाले गेट पास में अनिवार्य रूप से टी0पी0डी0एस गोदाम का नाम अंकित किया/कराया जायेगा। ऐसा करने से विमुक्ति आदेश(R.O.)के साथ संलग्न प्रावरण (Covering letter) पत्र में उल्लेखित आवंटन के विचलन पर रोक लगाया जा सकेगा।

ग– उपर्युक्त प्रकिया के अक्षरशः अनुपालन की दिशा में विमुक्ति आदेश(R.O.) के साथ संलग्न प्रावरण (Covering letter) पत्र में उल्लेखित आवंटन के विचलन पर रोक लगाने का दायित्व उठाव प्रभारी का होगा।

घ– निर्गत खाद्यान्न का दो मुहरबन्द नमूना उठाव प्रभारी द्वारा उठाव के कम में सम्बद्ध सी0एम0आर0 गोदाम के सहायक प्रबंधक एवं गुण नियंत्रक के उक्त नमूनों पर संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त किया जाएगा तथा एक मुहरबन्द नमूना जिला पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरांत पावती के साथ शेष नमूना उठाव प्रतिवेदन के साथ जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में समर्पित करने का दायित्व होगा। उपर्युक्त प्रकिया का अक्षरशः अनुपालन किये बिना निर्गमन के प्रासंगिक चरण की प्रकिया पूर्ण नहीं मानी जायेगी।

(III) <u>सहायक प्रबंधक (सी0एम0आर0गोदाम)</u>

क– सहायक प्रबंधक द्वारा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के कार्यालय एवं वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) को सी0एम0आर0 गोदाम में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त एवं खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत निर्गत सी0एम0आर/चावल की मात्रा की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) के नेतृत्व में खाद्यान्न के निर्गमन के पूर्व गोदाम में सी0एम0आर/चावल के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जाँच की प्रकिया में वांछित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

ख– विमुक्ति आदेश(R.O.) के साथ संलग्न प्रावरण (Covering letter) पत्र में अंकित उठाव प्रभारी के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर का मिलान कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज से करने के उपरांत सहायक प्रबंधक द्वारा नियमानुसार उठाव की प्रकिया प्रारंभ की जायेगी।

ग– गोदाम से खाद्यान्न के उठाव में FIFO (First In First Out)सिद्धान्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सहायक प्रबंधक का होगा।

घ– खाद्यान्न निर्गमन से संबंधित आँकड़ों का गोदाम में संधारित पंजियों में इन्द्राज कराने एवं अद्यतीकरण कराने का दायित्व सहायक प्रबंधक का होगा। साथ ही समय–समय पर उक्त आशय का प्रतिवेदन सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु जिला प्रबंधक के कार्यालय में समर्पित करने का दायित्व सहायक प्रबंधक का होगा।

245

ङ– सी0एम0आर0 गोदाम में भंडारित सी0एम0आर/चावल के BRL घोषित होने की स्थिति में विहित प्रकियानुसार निगम के हित में निर्धारित अग्रेतर कार्रवाई करने का दायित्व सहायक प्रबंधक का होगा।

(IV) **जिला प्रबंधक**

क– माह के प्रत्येक शनिवार तक वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) के नेतृत्व में भौतिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के समर्पण के आलोक में जिला प्रबंधक द्वारा विमुक्ति आदेश (R.O.) के कय हेतु राशि जिला स्तरीय कियाशील अधिप्राप्ति ऋण खाता में हस्तानान्तरित करने एवं उसी कार्य दिवस अथवा विशेष परिस्थिति में आगामी कार्य दिवस को कय किये गये विमुक्ति आदेश (R.O.) प्राप्त करने का दायित्व होगा। उल्लेखनीय है कि वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने में विलम्ब की दिशा में जिला प्रबंधक द्वारा प्रासंगिक प्रतिवेदन के प्रेषण के सम्बन्ध में अनुरोध किया जा सकता है किन्तु विमुक्ति आदेश(R.O.) के कय की प्रकिया में राशि हस्तान्तरण के अतिरिक्त कोई भूमिका नहीं रहेगी अर्थात् वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) इस हद तक स्वतंत्र रूप से कार्य करेगें।

ख– सी0एम0आर/चावल के निर्गमन के पूर्व सी0एम0आर0 गोदामवार उठाव प्रभारी को नामित करने तथा नामित उठाव प्रभारियों के हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना सभी सी0एम0आर0 गोदाम के सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराने का दायित्व होगा।

ग– खाद्यान्न के उठाव के कम में FIFO (First In First Out) सिद्धान्त का अनुपालन, उठाव प्रभारी द्वारा गेट पास पर खाद्यान्न के विचलन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित करने तथा सी0एम0आर0 गोदाम में निर्गमन से संबंधित आँकड़ों का संधारण सुनिश्चित कराने की भूमिका होगी।

घ– जिला प्रबंधक द्वारा सी0एम0आर0 गोदामों से खाद्यान्न का उठाव एवं टी0पी0डी0एस0 गोदामों पर खाद्यान्न के प्राप्ति की प्रकिया का विडियोग्राफी कराने एवं संबंधित सी0डी0 का सुरक्षित रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

ङ– विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर/चावल के निर्गमन की दिशा में जिलान्तर्गत सभी स्तरों पर लेखा संधारण एवं संधारित लेखा का नियमानुसार ससमय अंकेक्षण कराने का दायित्व जिला प्रबंधक का होगा।

च– सी0एम0आर0 गोदाम में भंडारित सी0एम0आर/चावल के BRL घोषित होने की स्थिति में विहित प्रकियानुसार निगम के हित में निर्धारित अग्रेतर कार्रवाई करने का दायित्व जिला प्रबंधक का होगा।

(V) **जिला पदाधिकारी**

क– मुख्य सचिव के पत्रांक–7714 दिनांक–06.12.13 की कंडिका–11 (1) में उद्धृत निदेश के आलोक में जिला अन्तर्गत अधिप्राप्ति के प्रासंगिक चरण का सफल एवं ससमय संचालन जिला पदाधिकारी के सतत् निगरानी,पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं नेतृत्व में संचालित किया जाना अपेक्षित है।

ख– प्रासंगिक अधिप्राप्ति के चरण की सफलता हेतु जिला पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि दिनांक–09.12.2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आहूत अधिप्राप्ति संबंधित समीक्षात्मक बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य के निष्पादन में सहयोग करने हेतु जिला स्तरीय वरीय उप समाहर्त्ता को वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) के रूप में नामित किया गया होगा।उल्लेखनीय है कि इस आशय से संबंधित सूचना मुख्यालय के पत्रांक–3206 दिनांक–05.04.2014 के माध्यम से सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को संसूचित की गई है जिसकी प्रति सभी जिला पदाधिकारी को भी पृष्ठांकित है।

ग– जिला में खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न की कुल माँग के विरूद्ध विकेन्द्रीकृत स्त्रोत से सी0एम0आर/चावल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जाँच जिला पदाधिकारी द्वारा नामित /प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) द्वारा किया जा सकेगा।

घ– साथ ही जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर/चावल के निर्गमन के विभिन्न चरणों की निगरानी एवं अनुश्रवण मुख्य सचिव के प्रासंगिक पत्र की कंडिका–10 (1) में उद्धृत निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा उक्त आशय का फलाफल जिला पदाधिकारी के संज्ञान में नियमित रूप से लाया जा सकेगा।

ङ– विषय बिन्दु से संबंधित जिला स्तरीय परिवाद पत्रों में वर्णित तथ्यों की जाँच कराने एवं निर्धारित समय सीमान्तर्गत निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(VI) राज्य खाद्य निगम मुख्यालय

क– मुख्यालय द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के सफल एवं समुचित कार्यान्वयन की दिशा में जिलान्तर्गत कियाशील सी0एम0आर गोदामों में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त एवं निर्गत खाद्यान्न की मात्रा से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन तथा समय–समय पर स्थलीय जाँच के आधार पर प्रासंगिक प्रकिया की निगरानी, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समीक्षा तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

ख– विषय बिन्दु से संबंधित विभिन्न स्तरों से प्राप्त परिवाद पत्रों में वर्णित तथ्यों की जाँच कराने एवं निर्धारित समय सीमान्तर्गत निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(VII) प्रशासी विभाग

क– विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्त्रोत से प्राप्त सी0एम0आर/चावल के खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत निर्गमन की प्रकिया का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा।

ख– साथ ही विषय वस्तु से संबंधित नीतिगत बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन विभाग द्वारा प्रदान किया जाय।

ग– विषय वस्तु से संबंधित सरकार के निर्णय एवं उक्त निर्णय के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा निगम मुख्यालय को संसूचित किया जायेगा।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर विषयांकित मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अधिप्राप्ति के महत्वपूर्ण चरण का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करेगें।

अनुलग्नक–यथावर्णित।

विश्वासभाजन

प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः– 3573 पटना, दिनांक– 16.4.2014

प्रतिलिपिः–सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांकः– 3573 पटना, दिनांक– 16.4.2014

प्रतिलिपिः–महाप्रबन्धक,(क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी क्षेत्र प्रबंधकों को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांकः– 3573 पटना, दिनांक– 16.4.2014

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को मुख्य सचिव के पत्रांक–7714 दिनांक–06.12.2013 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रमंडल अन्तर्गत जिलों में मार्गदर्शिका के माध्यम से संसूचित प्रावधान के अनुपालन हेतु अपने स्तर से आवश्यक निदेश जारी करेगें।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांकः– 3573 पटना, दिनांक– 16.4.2014

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ सादर समर्पित। अनुरोध है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–7714 दिनांक–06.12.13 के माध्यम से संसूचित कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश की कंडिका–6(12) में उल्लेखित निगम पत्रांक–9955 दिनांक–04.11.13 के माध्यम से प्रचारित विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना प्रारूप में तदनुसार आंशिक संशोधन को सम्पुष्ट करते हुए भवदीय स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को संशोधित कार्य योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश देने की कृपा की जाय।

प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः– 3573 पटना, दिनांक– 16.4.2014

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव,बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ सादर समर्पित।

ह०/–

प्रबन्ध निदेशक।

16.4.14

प्रपत्र – क

Statement of CMR Godown wise details of Physical Verification of CMR RICE

District ____________________ Date:- __________ (fig in MT)

With day __________

Sl.No.	Name of CMR Godowns	Opening Balance in Stock Register on PV Date	Total Quantity physically found	Shortage If any	Remarks

Signature of Quality Control

Signature of Assistant Manager CMR Godowns

Representative of FCI

Sr. Dy. Collector (Proc.)

प्रपत्र - ख

Statement of CMR Godown wise details of Quality Inspection of CMR RICE

District ____________________ Date:- ______________ (fig in MT)

With day ______________

Sl.No.	Name of CMR Godowns	Opening Balance in Stock Register on Inspection Date	Quantity of CMR Rice found BRL	Action recommended against BRL stock	Present Status of Old BRL Stock	Remarks

Signature of Quality Control

Signature of Assistant Manager CMR Godowns

Sr. Dy. Collector(Proc.)

240

To
The Asstt. Manager(CMR Godown)
CMR Godown ______________ No. ___________

Issued from File No. District Office, Date :- ....

Release Order No. (Mention name of scheme AAY/PHH/MDM/WBNP)

1. Please deliver to ....

from depot the undernoted quantity of Wheat/Rice against the cost deposited by him/them as details below in accordance with the usual terms and conditions governing the sale of food grains from Corporation stock.

Name of the Depot/ Godown	Commodity / Variety	Quantity (Net)	Particulars of amount						RTGS/ NEFT & Date	Remarks
			Value		S.T.		Total Amount			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		

2. No delivery should be given unless the purchaser produces his copy (i.e, duplicate) of this Release Order.
3. Delivery must be completed on or before otherwise the usual storage charges should be realized before completing delivery.
4. All delivery documents should be sent on the following day.
5. The consignee's receipt should be obtained on this (original copy of the Release Order) as well as deliver documents. The duplicate copy of the Release Order given to the purchaser, however by defaced with rubber stamp so that it cannot be prescribed again.

Stocks issued on ....

SDC Procurement
For & on behalf of Bihar State Food Corporation

Copy forwarded to :-
Shri/Messers ....
with reference to his/their application dated ....
He may please contact the Assistant Manager of the CMR Godown concerned and arrange the delivery within the date stipulated above.

SDC Procurement
For & on behalf of Bihar State Food Corporation